

सं.1-1764/एफएसएसएआई/इंपोर्ट्स/-2018(पार्ट-1)  
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण  
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक सांविधिक निकाय)  
(आयात प्रभाग)  
एफडीए भवन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली -110002


दिनांक अक्टूबर, 2020

स्पष्टीकरण

विषय: आयातित खाद्य प्रेषणों के साथ भेजने के लिए गैर-जीएम एवं जीएम मुक्त प्रमाणपत्र की आवश्यकता

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 21.08.2020 (प्रतिलिपि संलग्न है) के आदेश के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश इस समय आदेश के केवल अनुबंध 1 में विनिर्दिष्ट खाद्य फसलों पर लागू होता है और सामान्य रूप से प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों पर लागू नहीं होता। यह आदेश डब्ल्यू.टी.ओ. - टी.बी.टी. सदस्य देशों से टिप्पणियां मंगाने के लिए 02.09.2020 को अधिसूचित किया गया है। आदेश के प्रभावी होने से पहले विभिन्न सदस्य देशों से प्राप्त होने वाली टिप्पणियों की जांच की जाएगी।

संलग्न : यथोपरि



(डा. अमित शर्मा)  
निदेशक (आयात)

ईमेल - [dramit.sharma@fssai.gov.in](mailto:dramit.sharma@fssai.gov.in)